Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Peer Reviewed and Refereed Journal Multidisciplinary 2023; 10(2); 16- 19
Impact factor 0.9

महिला आन्दोलन और नारी सशक्तिकरण

दीपक महतो
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गाँधी, महाविद्यालय, सुंदरपुर, दरभंगा

महिला आन्दोलन को आधुनिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक आन्दोलन के रूप में देखा जाता है इसका उद्येश्य उन संस्थागत प्रबंधनों, मूल्यों, रीती रिवाजों और समाज की आस्थाओं में परिवर्तन लाना है जिन्होंने वर्षों से महिलाओं को पराधीन कर रखा था ।

भारत में महिलाओं की परिस्थिति विभिन्न कालों और विभिन्न वर्गों, धर्म और जातीय समूहों में अलग अलग रही है । उन्नीसवीं शताब्दी में महिलाओं से संबंधित बहुत सी सामाजिक बुराइयाँ जैसे सती प्रथा (विधवा का अपने पति के साथ चिता में जीवित जल जाना), बाल विवाह, विधवा पुन विवाह पर निषेध, बहु विवाह इत्यादि फैली हुई थी ।

उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजी शिक्षा और भारतियों के बीच पश्चमी उदारवादी विचार धारा के प्रचार तथा ईसाई धर्म मिशनरी क्रियाकलापों के प्रसार के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्त्तन और धार्मिक सुधारों के लिए बहुत से आन्दोलन हुए इन आन्दोलनों के मुख्य उद्येश्य जाति सुधार, महिलाओं को मान प्रतिष्ठा में बृद्धि, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन और विभिन्न समुदायों में फैली हुई सामाजिक बुराईयों पर प्रहार करना था जिनकी जड़ें, सामाजिक तथा धार्मिक परम्पराओं से जुड़ी हुई थी ।

उन्नीसवीं सदी में सामाजिक सुधार आन्दोलनों के प्रारम्भिक चरण में रजा राममोहन राय जैसे पुरुष सुधारकों द्वारा पहल की गई रजा राममोहन राय ने 1925 में ब्रह्म समाज कि स्थापना कर महिलाओं के विरुद्ध प्रतिबन्धों और पूर्वाग्रहों को उखाड़ फेंकने का काम किया । जिसकी जड़ें धर्म में थी इसमें बाल बहुपति विवाह, बहुविवाह, उत्तराधिकारी से प्राप्त सम्पत्ति में सिमित अधिकार और महिलाओं का पृथक्करण सम्मलित थे महिलाओं की शिक्षा को महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया । सन् 1828 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आन्दोलन किया फलस्वरूप 1829 में अंग्रेज सरकार को सतीप्रथा के विरोध में कानून पारित करना पड़ा ब्रह्मण समाज की देख रेख में अंतर जातीय विवाह भी कराए गए । इस प्रकार के प्रयासों को हिन्दू कट्टर वादिता 1872 में सिविल विवाह धारा पास किया गया इस अधिनियम ने अंतर्जातीय विवाह और तलाक के लिए इजाजत दे दी लड़कियों के लिए विवाह और तलाक के लिए इजाजत दे दी लड़कियों के लिए विवाह कि न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निश्चित कि गई ब्रह्म समाज के बाद सन् 1867 में एम जी रानाड़े और आर जी भण्डारकर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की स प्रार्थना समाज ने 1869 में बॉम्बे विडोज रिफार्म्स एसोसियेशन की स्थापना की और

Corresponding Author : दीपक महतो
E-mail : drdeepakmahato02@gmail.com

Date of Acceptance : 19.08.2023
Date of Publication : 30.11. 2023

Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Peer Reviewed and Refereed Journal Multidisciplinary 2023; 10(2); 16- 19
Impact factor 0.9

1969 में पहला विधवा पुनर्विवाह कराया स प्रार्थना समाज के दो नेता आर जी भण्डार कर तथा एन जी चंद्रावरकर, वाद में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में बम्बई में की थी बाद में इसका नाम बदलकर एस एन डी टी महिला विश्विद्यालय कर दिया गया स प्रार्थना समाज का उद्येश्य भी ब्रह्म समाज जैसे ही थे ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर हिन्दू धार्मिक कट्टरता, मूर्ति पूजा और जाति भेद वाले समाज का विरोध किया स प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का शानदार चित्रण करते हुए जाति प्रथा में सुधार, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आवश्यक शिक्षा, कानून द्वारा बाल विवाह का निषेध, बाल विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया स लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अलग विद्यालयल पर जोर दिया आर्य कन्या पाठशालाएँ खोली गई जो बाद में महाविद्यालय बन गई और इन्होंने महिला शिक्षा में अपना योगदान दिया ।

उपर्युक्त समाज सुधारकों के साथ ही इश्वर चन्द विद्यासागर, ज्योतिवा फूले और लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख महिलाओं के उत्थान के लिए संगठन रूप से प्रयास किया फूले ने कहा कि शुद्र और महिलाओं को शिक्षा की मनाही कर दी गई ताकि वे मानव अधिकारों के महत्व को समझ ही न सकें और कानून, रीती रिवाज और परम्पराओं में ही गई अपनी निम्न स्थिति को भी स्वीकार कर लें ।

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता

महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के बड़ी संख्या में सम्मिलित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता फिर भी उन्होंने कहा "मैं महिला अधिकारों के मामलों में समझौता नहीं करता फिर भी उन्होंने महिला के कष्टों कि प्रतीक सीता, दमयन्ती जैसे पौराणिक चरित्रों को आदर्श रूप में देखा । वे इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं का भाग लेना उनके धर्म का एक अभिन्न अंग था । उन्होंने कहा कि महिलाओं में स्व बलिदान और सहिष्णुता का बहुत बड़ा गुण है और उनमें दू:खों को झेलने कि वह योग्यता है जिसकी अहिंसात्मक संघर्ष के लिए आवश्यकता थी वे महिलाओं कि भूमिका को पुरुषों की भूमिका के पूरक के रूप में देखा ।

प० जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी महिला मताधिकार से प्रेरित थे और वह पश्चिम में महिलाओं के सवाल पर उदार विचारों के सम्पर्क में थे । उनका मानना था "आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिला समानता के अन्य पहलुओं को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकेगा" वह इस दृष्ट्रकोण से असहमत थे कि महिलाएँ सभी क्रिया कलापों में प्रशिक्षित हो उन्होंने ने कहा कि सामाजिक संघर्ष से अलग रह गया तो उनके आन्दोलन को अधिक सुदृढता नहीं मिलेगी स इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अकेला कारक जिसने भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और पारिस्थि को परिवर्तित करने में सहयोग दिया वह महिलाओं का व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेना था । 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी के मौलिक अधिकार प्रस्ताव में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को एक उदेश्य के रूप में माना गया ।

भारत में महिला संगठन

20 वीं सदी के आरम्भ में सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी प्रतिबंधों से मुक्ति पाने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग महिला संगठनों का गठन हुआ इनमें अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले दो उल्लेखनीय संगठन "विमेंस इंडियन एसोसिएशन" और "नॅशनल कॉसिल ऑफ विमेंस" अधिक महत्वपूर्ण है सन् 1927 में स्थापित "अखिल भारतीय महिला परिषद् "कायार्त्मक आधार पर और वर्ग प्रतिनिधित्व कि दृष्टि से उपर्युक्त दोनों संगठनों से अधिक उपर्युक्त और महत्वपर्ण महिला संगठन है ।

सन् 1927 में "अखिल भारतीय महिला परिषद् का प्रथम अधिवेशन स्त्री शिक्षा के उदेश्य को लेकर आयोजित हुआ (दो वर्ष बाद 1929 में परिसद के तीसरे अधिवेशन में इसके कार्यक्षेत्रके विस्तृत करते हुए स्त्री शिक्षा सहित समाज सुधार कि भी चर्चा कि गई इसमें सरोजनी नायडू का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था । इसलिए कुछ लेखक उन्हें भारत में नारिबादी आन्दोलन के पुरोधा के रूप में देखते हैं ।

अखिल भारतीय हिन्दू महिला परिषद् का मुख्य उदेश्य महिलाओं के लिए मानवीय अधिकारों की प्राप्ति था परिषद् के प्रारभिक काल के वार्षिक अधिवेशनों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव पारित किए गए परिषद् ने वेश्यावृत महिलाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध भी किया एवं स्त्री मताधिकार की माँग की साथ ही साथ उच्च राजकीय पदों कि भी माँग की अखिल भारतीय हिन्दू महिला परिषद के अतिरिक्त देश में अनेक महिला व जनसंगठन कार्यरत हैं । राजनितिक दलों के भी स्त्री संगठन जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन्स (सी पी आई), ऑल इण्डिया पीपुल्स विमेन्स एसोसियेशन (सी पी आई एम एल), महिला दक्षता समिति (जनता दल), जनवादी महिला समिति (सी पी एम) आदि प्रमुख है ।

महिला संगठनों के अतिरिक्त भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रिय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके सशक्तिकरण को बढावा देने के लिए किया गया । इस आयोग कि परिकल्पना एक विशेषज्ञ संस्थान के रूप में कि गई थी जो सरकार को महिलाओं के मुद्दों पर सलाह दे सकें तथा उनके अधिकारों की शक्तिशाली संरक्षण बन सकें इसलिए आयोग को वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया ताकि वह स्वतंत्रता से काम कर सकें । भारत में स्वतंत्रता के बाद सभी प्रदेशों में विभिन्न महिला संगठनों कि स्थापना होने के साथ ही केन्द्रीय स्तर पर सरकारी प्रयासों से एक अखिल भारतीय महिला संघ कि स्थापना हुई । इसके विभिन्न अधिवेशनों के द्वारा समय समय पर होने वाली मांगों के फलस्वरूप महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए न केवल सामाजिक कानूनों में संशोधन किया गया बल्कि राष्ट्रीय पर एक महिला कल्याण तथा विकास व्यूरो का भी गठन किया गया है । भारत सरकार द्वारा महिलाओं कि स्थिति में सुधार के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ आरम्भ कि गई है जिसमें महिला समृधि योजना इंद्रा महिला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना प्रमुख हैं । महिला आन्दोलन के कारण ही 1993 में संविधान के 73 वें तथा 74 कें संशोधनों के तरह महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा स्थानीय निकायों में 33.33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया

गया साथ ही, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है । भारत में महिला आन्दोलनों का प्रभाव समाज में उनकी स्थिति में होने वाले व्यापक सुधार के रूप में देखने को मिलता है महिलाओं में शिक्षा का प्रसार होने तथा आर्थिक जीवन में प्रवेश के अवसर मिलनेके कारण महिलाओं कि पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी है । संयुक्त परिवारों का विघटन होने से महिलाओं के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है और नए सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ है जिससे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुपत्नी विवाह आदि से स्त्री को मुक्ति पाना सरल हो गया । स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं कि शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई । सन् 2011 कि जनगण से स्पष्ट होता है कि देश में महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत हो गयी जबकि सन् 1942 में भारत में केवल 2,054 महिलाएँ ही कुछ पढ़ लिख सकती थी । शिक्षा के प्रसार के कारण महिलाओं को सामाजिक रुढियों से छुटकारा मिलने के साथ विवाह और सम्पत्ति के अधिकारों के प्रति भी जागरूकता बढ़ने लगी । आज कि महिलाएँ मेडिकल , इंजीनियरिंग , प्रशासनिक , देश कि राष्ट्रिय सुरक्षा औद्योगिक आदि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है । राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी सक्रियता का परिचय देकर सभी तरह के भ्रमों को दूर कर दिया है । आज अनेक राज्यों में महिला राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हैं । संसद के दोनों सदनों में महिलाओं कि भागीदारी निरंतर बढ़ रही है । परिवार में महिलाओं कि स्थिति याचिका कि न होकर एक प्रबंधक कि है जो महिलाओं के प्रगतिशील व्यक्तित्व का द्योतक है ।

संदर्भ

1. महिला सशक्तिकरण विशेषांक, राष्ट्रिय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद
2. दीक्षित प्रिय महरोत्रा, भारतीय महिला आन्दोलन सम्पूर्ण ट्रस्ट, नई दिल्ली 2001
3. M-E Coongis] an Indian womenhood today] kitabistan publication - Delhi] 1947-
4. Geraldine forbes] the new combridge history of Indian women in Modern India] CombridgeUniversity Press] Combridge] 1996-
5. M- K Gandhi] women and Social injustice] Navjeevan Publishing House] Ahambad] 1954.